न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 58/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

काली बेवा किशना जाति मीणा निवासी ग्राम बूढकरवर तहसील नैंनवा जिला बूंदी (राज0)।
..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी–राज0।
..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 220/प्रार्थना पत्र/02 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा बनाम काली बेवा किशना जाति मीणा मे पारित निर्णय दिनांक 11.11.2002 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 17.6.1999 को ग्राम कनकपुरा तह0 नैंनवा की आराजी ख0 सं0 1 मिन रकबा 4 बीघा , ख0 सं0 2 रकबा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) स्वीकार कर आवंटन खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन बाद जांच पूर्ण कानूनी प्रकिया अपना कर किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कोई रेकार्ड उपलब्ध नही था। अपीलांट भूमिहीन काश्तकार की तारीफ मे आने से उसको भूमि का आवंटन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने महज रेस्पो0 के जबानी कथन को स्वीकार करते हुये अपीलांट के पक्ष मे हुये आवंटन को खारिज करने मे त्रुटि की है। अपीलांट का उक्त आराजी पर काफी पुराना कब्जा काश्त था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने भी माना है। उक्त आराजी अपीलांट के परिवार की आय का एकमात्र साधन है यदि अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट के सामने भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। जेरअपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.2.2015 को पटवारी हल्का द्वारा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने तथा उसका आवंटन खारिज होने की बात कहने पर होने पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जेरअपील आदेश दिनांक 11.11.2002 अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी निरस्त किया जाकर अपीलांट के पक्ष मे हुये आवंटन को बहाल रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी भूमिहीन होने से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये बाद जांच आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था जो नियमानुसार है। आवंटी के पास गुजर बसर करने हेतु अन्य कोई साधन नही है। भूमि आवंटन मे कोई अनियमितता नही हुई है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय निरस्त कर आवंटन को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे व्यक्त किया कि आवंटी का आवंटन विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होने से अपील खारिज योग्य है।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पेश कर वर्णित किया कि जेरअपील निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.2.2015 को पटवारी हल्का द्वारा आवंटन निरस्त होने तथा भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर हुई। रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र मे उक्त उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम कनकपुरा की भूमि ख0 नं0 1 मि0 रकबा 4 बीघा ख0 नं0 2 रकबा 18 बिस्वा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.6.99 को अपीलांट को आवंटित की गई है। उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से तहसीलदार नैनवा द्वारा आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी के यहां पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.02 से स्वीकार कर आवंटी के पास उपलब्ध भूमि एवं आवंटित भूमि दोनो भूमि मिलाकर 15 बीघा से अधिक होने से भू आवंटन नियम 20 मे निहित प्रावधानों का उल्लधन होने तथा आवंटित अतिक्रमण शुदा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 17.6.99 प्रारूप 5 ख मे नही होने से अपीलांट को किया गया उक्त आवंटन विधि संगत नही होना मानते हुये आवंटन निरस्त किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि आवंटन कमेटी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट को नियमानुसार किया गया है जिसमें कोई

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अनियमितता नही है। परिवार का गुजर बसर करने हेतु अन्य कोई साधन नही है। अपीलांट के तर्क के संबध मे आवंटन आदेश दिनांक 17.6.99 तथा अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.2002 तथा पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे तहसील नैंनवा पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बिन्दू सं0 1 लगायत 7 मे की जाने वाली टिप्पणी/पूर्ति पर पटवारी/आईएलआर के हस्ताक्षर नही है। बिन्दू सं0 4 मे वर्तमान मे प्रार्थी व उसके परिवार मे 5 बीघा सिचित तथा 10 बीघा अंसिंचित भूमि होना अंकित है। लेकिन उक्त रिपोर्ट पर पटवारी/आईएलआर के हस्ताक्षर नही है। तहसीलार द्वारा भी प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कार्यवाही मे अपीलांट द्वारा धारित भूमि का विवरण एवं उसके परिवार के संदर्भ मे कोई आधार अभिलेख/राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नही किये है ना ही उक्त आधार अभिलेख/राजस्व रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है। अतः उपरोक्त वर्णित समुचित आधार अभिलेख/राजस्व रेकार्ड के अभाव मे आवंटी के पास उपलब्ध भूमि एंव आवंटित भूमि दोनो मिलाकर 15 बीघा से अधिक होने संबधी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय मे प्रकट तथ्यों की प्रमाणिकता नही होने से भू आवंटन नियम 20 मे निहित प्रावधानों का उलघंन होने की पुष्टि नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.2002 पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा मिसल सं0 220/प्रा0 पत्र/02 मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 11.11.2002 अपास्त किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि का अपीलांट को दिनांक 17.6.99 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 22.2..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा